अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

...ांक–प्र०–7 / विविध–04–38 / 2023– /पटना, दिनांक......................

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार।
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार।

विषय :– अन्य विभागों / निगमों द्वारा कालीसूची में डाले गये / मुक्त किये गये संवेदकों की सूची विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा कतिपय संवेदकों को कालीसूची में डाले जाने / मुक्त किये जाने की सूचना दी गयी है, जो निम्न है :–

क्र० सं०	संवेदक का नाम / निबंधन संख्या	विभाग / निगम का नाम	ज्ञापांक / दिनांक	अभ्युक्ति
1	M/s G.L.R. traders & Industries I M Jagdish Lok Apartment, West Boaring Canal road Patna, Pin-800001 (सूचीबद्धता सं0–210 / 2017)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना।	ज्ञापांक–783 दिनांक–28.05.2025	अगले 05 (पाँच) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
2	M/s N.S. Infra Pvt. Ltd. Nirottam, Olenda, Fatehpur Sikri, Agra (U.P), Pin-283110 (सूचीबद्धता सं0–291220230722)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना।	ज्ञापांक–665 दिनांक–13.05.2025	अगले 10 (दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
3	रंजीत कुमार राउत, ग्राम+पो०–भेजा, अंचल, मधेपुर, जिला–मधुबनी, पिन–847408 (निबंधन सं०–2150504 / 2151180 / 2191049 / 1190561 / 1240473)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–4972 दिनांक–06.05.2025	अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए Blacklist किया गया है।
4	मेसर्स सोलंकी कन्सट्रक्शन के पार्टनर–अखिलेश्वर सिंह, पता–छोटा वरियारपुर, थाना–छतौनी, मोतिहारी, जिला–पूर्वी चम्पारण पिन–845401 (निबंधन सं०–1150043 / 1200153)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–3803 दिनांक–03.04.2025	04 (चार) वर्षों के लिए Blacklist किये जाने संबंधी सकारण आदेश ज्ञापांक–186 दिनांक–10.01.2025 को निरस्त करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है।

5	कुनाल सरोज, ग्राम–मरूआहा, माणिकपुर, वार्ड नं०–05, थाना–भरोही ओ०पी०, जिला–मधेपुरा, पिन– 852113 (निबंधन सं०–2180151)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–4944 दिनांक–05.05.2025	दिनांक–28.04.2023 से अगले (पाँच) वर्षो के लिए Blacklis किया गया है।
6	ओम शंकर कन्स० प्रा० लि०, के निदेशक मीरा उपाध्याय पता–मौलाबाग (नाला रोड) पी०ओ०–आरा, थाना–नवादा, जिला–भोजपुर, पिन–802301 (निबंधन सं०–1210020)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–4292 दिनांक–17.04.2025	अगले 04 (चार) वर्षों के लिए Blacklist किये जाने संबंधी सकारण आदेश ज्ञापांक–489 दिनांक–31.05.2025 को निरस्त किया गया है।
7	श्री विकास कुमार पाण्डेय, ग्राम–महेन्द्र कॉलोनी, बानुछपरा, जिला–बेतिया (निबंधन सं०–1220038 / श्रेणी प्रथम)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–4758 दिनांक–30.04.2025	कालीकरण करने संबंधी सकारण आदेश ज्ञापांक–1152 दिनांक–25.03. 2025 को निरस्त करते हुए कालीकरण अवधि को 03 वर्षो से घटाकर 03 (तीन) माह किया गया है।
8	श्री संजय कुमार, मोहल्ला–जैन कॉलेज पूर्वी गेट, आरा, पो०+थाना–नवादा आरा, जिला–भोजपुर, पिन–802301 (निबंधन सं०–142 / 2017 द्वितीय श्रेणी)	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–1866 दिनांक–02.05.2025	कालीकरण से संबंधित आदेश ज्ञापांक–832 दिनांक–04.03.2022 एवं आदेश ज्ञापांक–962 दिनांक–24.02. 2023 को संशोधित करते हुए कालीकरण आदेश निर्गत होने की तिथि यथा 04.03.2022 से कालीकरण अवधि को 10 वर्षो से घटाकर 03 वर्ष किया गया है एवं विभागीय आदेश ज्ञापांक–3267 दिनांक–05.08. 2022 को निरस्त किया गया है।
9	M/s Want Media Solution, Village-Yamunapur, Po-Alawalpur, Ps-Gaurichak, Dist-Patna-803203 (निबंधन सं०–BCD-ClassII/2230314)	भवन निर्माण विभाग	ज्ञापांक–3770(भ०), दिनांक–29.04.2025	दो वर्षों के लिये निलंबित किया गया है।

अतः काली सूची में डाले गये संवेदकों को निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–

अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)

/पटना, दिनांक............

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध–04–38/2023–

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (रुपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–

अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)

/पटना, दिनांक 24/6/25

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध–04–38/2023– 4038 (E)

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/ कार्यपालक अभियंता, (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को CD सहित Website पर Upload करने हेतु तथा प्रभारी e-tendering को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

20/6/2025

अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)

20.06.25

D:\Avinash Work Folder\Black Listing, Suspension Letter of Other Dept..docx

(11) आई० टी० मैनेजर

696

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

4160754

03.06.2025

आदेश

संचिका सं0-12/वि0-127/2024- 783 पटना, दिनांक- 28.5.25

विषय: फर्म M/S G.L.R TRADERS & INDUSTRIES IM JAGDISH LOK APARTMENT, WEST BOARING CANAL ROAD PATNA, Pin-800001 (सूचीबद्धता संख्या-210/2017) को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट अंतर्गत बौंसी ग्रामीण जलापूर्त्ति योजना के पुनर्गठन तथा परिचालन एवं रख-रखाव के कार्य में शिथिलता हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में फर्म को काली सूची में दर्ज करने के संबंध में।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत फर्म **M/S G.L.R TRADERS & INDUSTRIES IM JAGDISH LOK APARTMENT, WEST BOARING CANAL ROAD PATNA, Pin-800001 (सूचीबद्धता** संख्या-210/2017) को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट अंतर्गत बौंसी ग्रामीण जलापूर्ति योजना के पुनर्गठन तथा पाँच वर्षो के लिए परिचालन एवं रख-रखाव कार्य हेतु एकरारनामा संख्या-SBD-10/2018-19 के तहत कार्य आवंटित किया गया था। आवंटित कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि 15.08.2020 एवं स्वीकृत समयवृद्धि दिनांक-30.04.2021 थी।

कृत एकरारनामा के तहतससमय कार्य पूर्ण करने हेतु कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट के पत्रांक-3536 दिनांक-31.10.2019, पत्रांक-3823 दिनांक-23.10.2019, पत्रांक-3855 दिनांक-26.11.2019, पत्रांक-3919 दिनांक-29.11.2019, पत्रांक-3658 दिनांक-09.11.2019, पत्रांक-4328 दिनांक-31.12.2019, पत्रांक 245 दिनांक-20.01.2020, पत्रांक-319 दिनांक-24.01.2020, पत्रांक-385 दिनांक-01.02.2020, पत्रांक 1607 दिनांक-26.05.2020, पत्रांक-2962 दिनांक-15.10.2020, पत्रांक-1091 दिनांक-25.26.2021, पत्रांक-1320 दिनांक-30.07.2021, पत्रांक-3004 दिनांक-10.09.2021, पत्रांक-1664 दिनांक-26.08.2022, पत्रांक-1809 दिनांक-12.09.2022, पत्रांक-2065 दिनांक-18.10.2022 पत्रांक-2197 दिनांक-05.11.2022, पत्रांक-2374 दिनांक-02.12.2022 पत्रांक-831 दिनांक-02.06.2023, पत्रांक-1130 दिनांक-25.07.2023 के माध्यम से फर्म को निदेशित एवं स्मारित किया गया। परन्तु कार्य संपादन में फर्म के द्वारा अभिरूची नहीं ली गई। उक्त स्थिति में आवश्यक मानव बल एवं मशीनरी का प्रयोग कर अवयववार कार्य पूर्ण करने हेतु अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर के ज्ञापांक-145 दिनांक-27.01.2020 एवं पत्रांक-38 दिनांक-11.01.2020 के द्वारा फर्म को निदेशित किया गया। परन्तु फर्म उक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहे।

पुनः कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक के प्रतिनिधि के साथ दिनांक-16.02.2023 को समीक्षा बैठक की गई एवं अवयववार कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु फलाफल शून्य रहा। उक्त के स्थिति में कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट के द्वारा पत्रांक-1870 दिनांक-28.09.2024 के माध्यम से फर्म के सूचीबद्धता संख्या-210/2017 को काली सूची में सम्बद्ध करने हेतु अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर को प्रतिवेदित किया गया। तदोपरांत अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल भागलपुर के

695

पत्रांक-1082 दिनांक-04.10.2024 के माध्यम से क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भाग... भागलपुर को उक्त मामले में आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई। तदक्रम में क्षे... अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर के पत्रांक-667 दिनांक-07.10.2024 के माध्यम से... ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के संगत प्रावधानों के तहत फर्म को काली सूची में दर्ज... हेतु अनुशंसा किया गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक-404 दिनांक-... 05.2024 के माध्यम से फर्म को सुसंगत साक्ष्यों के साथ अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने को निदेशित किया गया जिसके क्रम में फर्म के द्वारा प्रश्नगत मामले में बिंदुवार स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। फर्म से प्राप्त स्पष्टीकरण में उल्लेखित बिंदूओं के आलोक में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट के द्वारा अपने पत्रांक-2376 दिनांक-26.12.2024 के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित करते हुए अपने मंतव्य के साथ यह संसूचित किया गया कि फर्म से प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य नही है।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन तदोपरांत फर्म से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट के मंतव्य की सम्यक समीक्षा की गई एवं पाया गया कि एकरारनामा के अनुरूप कार्य करने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा दिये गए निदेश का फर्म के द्वारा अनुपालन सुनिश्चित नही किया गया है एवं कार्य के प्रति असहयोगात्मक रवैया अपनाया गया है। फर्म के द्वारा कार्य में शिथिलता बरतने एवं विभागीय निदेशों की निरंतर उपेक्षा के कारण योजना का कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।

अतः क्षेत्रीय पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-11 (क) (ii) ''एकरारनामा में विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक'' हेतु फर्म **M/S G.L.R TRADERS & INDUSTRIES IM JAGDISH LOK APARTMENT, WEST BOARING CANAL ROAD PATNA, Pin-800001 (सूचीबद्धता संख्या-210/2017)** को 05 वर्षो के लिए काली सूची में दर्ज किया जाता है।

इस पर अभियंता प्रमुख सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)का अनुमोदन प्राप्त है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

28/05/2025

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि0-127/2024- 783 पटना, दिनांक- 28.5.25

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना /बुडको, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

28/05/2025

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

(69५)

ज्ञापांक-12/वि0-127/2024- 783 पटना, दिनांक- 28.5.25

प्रतिलिपि-सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/05/2025

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Speed Post

ज्ञापांक--12/वि0-127/2024-- 783 पटना, दिनांक- 28.5.25

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट/फर्म M/S G.L.R TRADERS & INDUSTRIES IM JAGDISH LOK APARTMENT, WEST BOARING CANAL ROAD PATNA, Pin-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/05/2025

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक--12/वि0-127/2024- 783 पटना, दिनांक- 28.5.25

प्रतिलिपि--आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/05/2025

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि0-127/2024- 783 पटना, दिनांक- 28.5.25

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

28/05/2025

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

693

4160775
03.06.2025

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

पटना, दिनांक- 13.5.25

संचिका सं0-12/वि0-128/2025- 664

विषय: फर्म **M/S N.S INFRA Pvt. Ltd. NIROTTAM, OLENDA FATEHPUR SIKRI, AGRA (U.P) Pin-283110 (सूचीबद्धता संख्या-291220230722) को औरंगाबाद एवं गया जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु आमंत्रित ई0 निविदा** में फर्म के द्वारा प्रयुक्त अनुभव प्रमाण पत्र जॉचोपरांत फर्जी पाये जाने के कारण मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक को काली सूची में दर्ज करने के संबंध में।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत फर्म M/S N.S INFRA Pvt. Ltd. NIROTTAM, OLENDA FATEHPUR SIKRI, AGRA (U.P) Pin-283110 (सूचीबद्धता संख्या-291220230722) द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया अंतर्गत आमंत्रित निविदा सूचना संख्या-13/2024-25(R2)/O&M/PRD के ग्रुप संख्या-02 एव 03 में भाग लिया गया। उक्त निविदा में फर्म के द्वारा अपलोड किया गया अनुभव प्रमाण पत्र जॉचोपरांत फर्जी पाया गया।

इसी प्रकार, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद अंतर्गत आमंत्रित निविदा सूचना संख्या-10R2/2024-25/O&M/PRD के ग्रुप संख्या-02 में फर्म के द्वारा भाग लिया गया। उक्त निविदा में भी फर्म के द्वारा प्रयुक्त अनुभव प्रमाण पत्र जॉचोपरांत फर्जी पाया गया। साथ ही **मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना** अन्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तांतरित योजना (हर धर नल का जल) के मरम्मति एवं संपोषण कार्य में भी फर्म के द्वारा अभिरुचि नही ली गयी।

उक्त कृत्य के लिए कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया के पत्रांक-1204 दिनांक-09.04.25 के माध्यम से फर्म को अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया। परंतु फर्म अपना पक्ष रखने में विफल रहे। फलत: कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल औरंगाबाद एवं गया के प्रतिवेदन तदोपरांत संबंधित अधिक्षण अभियंता के अनुशंसा के आलोक में मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र पटना द्वारा अपने पत्रांक-478 एवं पत्रांक-477 दिनांक-26.04.25 के माध्यम से बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के संगत प्रावधानों के तहत फर्म को काली सूची में दर्ज करने हेतु अनुशंसा किया गया। पुन: विभागीय पत्रांक-637 दिनांक-30.04.25 के माध्यम से फर्म को अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया। परंतु फर्म अपना पक्ष रखने में विफल रहे।

पुन: क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त अनुशंसा में उल्लेखित बिंदूओं की समीक्षा की गई। तदोपरांत यह पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल गया अंतर्गत आमंत्रित निविदा सूचना संख्या-13/2024-25(R2)/O&M/PRD के ग्रुप संख्या-02 एव 03 एवं लोक स्वास्थ्य प्रमंडल औरंगाबाद अंतर्गत आमंत्रित सूचना निविदा सूचना संख्या-10/2024-25(R2)/O&M/PRD के ग्रुप संख्या-02 में फर्म के द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही **मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना** अन्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तांतरित योजना (हर धर नल का जल) के मरम्मति एवं संपोषण कार्य में भी फर्म के द्वारा अभिरुचि नही ली गयी है।

592

अतः क्षेत्रीय पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र, पटना से अनुशंसा के आलोक में बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-11 (क) (vii) ''निविदा प्राप्त करने के लिए गलत कागजात समर्पित करने'' हेतु फर्म M/S N.S **INFRA Pvt. Ltd. NIROTTAM, OLENDA FATEHPUR SIKRI, AGRA (U.P) Pin-283110 (सूचीबद्धता संख्या-**291220230722) को 10 वर्षो के लिए काली सूची में दर्ज किया जाता है।

इस पर अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)का अनुमोदन प्राप्त है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

13/05/2025
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि0-128/2025-665 पटना, दिनांक-13.5.25

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना /बुडको, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

13/05/2025
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि0-128/2025-665 पटना, दिनांक-13.5.25

प्रतिलिपि-सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/05/2025
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Speed Post

ज्ञापांक-12/वि0-128/2025 665 पटना, दिनांक-13.5.25

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, गया/औरंगाबाद/फर्म M/S N.S INFRA Pvt. Ltd. NIROTTAM, OLENDA FATEHPUR SIKRI, AGRA (U.P) Pin-283110 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/05/2025
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि0-128/2025-665 पटना, दिनांक-13.5.25

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

13/05/2025
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

3796
13 MAY 2025
बिहार, पटना

691

4065069
13.05.2025

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

संवेदक रंजीत कुमार राउत (निबंधन संख्या— 2150504 / 2151180 / 2191049 / 1190561 / 1240473) ग्राम+ पो0—भेजा, अंचल— मधेपुर, जिला—मधुबनी, पिन—847408 को कार्य प्रमंडल बेनीपुर के अधीन एम0एम0जी0एस0वाई0 —एन0डी0बी0 ब्रिक्स योजनान्तर्गत ''राजा खरवार आर0सी0डी0 पथ बजरंगबली मंदिर से महिया उत्तरवारी टोल'' पथ निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या—18/SBD/2023-24) आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 16.03.2024 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 15.03.2025 है।

संदर्भित पथ निर्माण कार्य की प्रगति एकरारनामा के अनुरूप नहीं किये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपुर का पत्रांक 803 दिनांक 25.09.2024 द्वारा एकरारनामा विखंडित करते हुए पत्रांक 940 अनु0 दिनांक 30.10.2024 के माध्यम से काली सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु अनुशंसा किया गया।

तदालोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल दरभंगा द्वारा उनके पत्रांक 380 अनु0 दिनांक 11.04.2025 एवं मुख्य अभियंता—06, दरभंगा के पत्रांक 582 अनु0 दिनांक 12.04.2025 द्वारा संवेदक को कालीकृत किए जाने हेतु विहित प्रपत्र में अनुशंसा समर्पित किया गया।

संवेदक **रंजीत कुमार राउत** को कालीकृत किये जाने हेतु प्राप्त अनुशंसाओं के आलोक में विभागीय पत्रांक 786 दिनांक 21.02.2025, पत्रांक 1393 दिनांक 11.04.2025 एवं पत्रांक 4657 दिनांक 28.04.2025 द्वारा निबधित डाक के माध्यम से संवेदक **रंजीत कुमार राउत को** स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किये जाने के बाद भी संवेदक द्वारा अबतक बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि संवेदक को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में संवेदक रंजीत कुमार राउत (निबंधन संख्या— 2150504 / 2151180 / 2191049 / 1190561 / 1240473) ग्राम+ पो0—भेजा, अंचल— मधेपुर, जिला—मधुबनी, बिहार पिन—847408 को एम0एम0जी0एस0वाई0 —एन0डी0बी0 ब्रिक्स योजनान्तर्गत ''राजा खरवार आर0सी0डी0 पथ बजरंगबली मंदिर से महिया उत्तरवारी टोल'' पथ निर्माण कार्य ससमय नहीं किए जाने संबंधी आरोपो को प्रमाणित मानते हुए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(vi) में विहित प्रावधान के आलोक में 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः— 14 / अ0प्र0—14—03 / 2025 4972 / पटना, दिनांकः— 6/5/25

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / योजना एवं विकास विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

1717
16/5/25

(90)

ज्ञापांकः– 14 / अ0प्र0–14–03 / 2025 4972 / पटना, दिनांकः– 6/5/2025

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/5/25

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः– 14 / अ0प्र0–14–03 / 2025 4972 / पटना, दिनांकः– 6/5/2025

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/5/25

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14 / अ0प्र0–14–03 / 2025 4972 / पटना, दिनांकः– 6/5/2025

धित / मेल

प्रतिलिपिः– **रंजीत कुमार राउत** (निबंधन संख्या– 2150504 / 2151180 / 2191049 / 1190561 / 1240473) S/O–राम गुलाम राउत **ग्राम+ पो0– भेजा, अंचल– मधेपुर, जिला–मधुबनी, पिन–847408, मो0–9931286618, ईमेल** –ranjeet301081@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

6/5/25

अभियंता प्रमुख

क्षा.

27 पेज

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग [redacted]

संवेदक मेसर्स सोलंकी कन्स्ट्रक्शन के पार्टनर श्री अखिलेशवर सिंह (Reg N0-1150043/1200153) पता–छोटा वरियारपुर, थाना–छतौनी, मोतिहारी, जिला–पूर्वी चम्पारण, पिन–845401 द्वारा काली सूची में दर्ज होने के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन दिनांक–20.01.2025 के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

25.03.2025

ज्ञा सं० 392875 / 07.04.2025

आदेश

संवेदक मेसर्स सोलंकी कन्सट्रक्शन के पार्टनर–अखिलेश्वर सिंह, पता–छोटा वरियारपुर, थाना–छतौनी, मोतिहारी, जिला–पूर्वी चम्पारण, पिन–845401 एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी उपस्थित।

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त इतिहास यह है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी के अधीन MMGSY (NDB) योजनान्तर्गत निविदा Tender ID-2023 ECBIH-124755 में ई० रवि कुमार गुप्ता को अपने फर्म में कार्यरत बनाने संबंधी शपथ पत्र देने, उक्त निविदा में इ० रवि कुमार गुप्ता के प्रमाण पत्र का गलत उपयोग करने तथा निविदा में गलत/फर्जी कागजात समर्पित करने संबंधी आरोप तथा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी के पत्रांक–2879 दिनांक–26.12.2024 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि मेसर्स सोलंकी कन्सट्रक्शन द्वारा ई० रवि कुमार गुप्ता के प्रमाण पत्र गलत प्रयोग किया गया है, पर सम्यक विचारोपरांत निविदा में गलत/फर्जी कागजात समर्पित करने हेतु दोषी पाते हुए संवेदक मेसर्स सोलंकी कन्सट्रक्शन (Reg N0-1150043/1200153) को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक–186 दिनांक–10.01.2025 द्वारा 04 (चार) वर्षों के लिए Blacklist किया गया।

उक्त आदेश के विरूद्ध संवेदक मेसर्स सोलंकी कन्सट्रक्शन पार्टनर–अखिलेशवर सिंह, पता–छोटा वरियारपुर, थाना–छतौनी, मोतिहारी, जिला–पूर्वी चम्पारण–845401 द्वारा अपील अभ्यावेदन दिनांक–20.01.2025 समर्पित किया गया है।

संवेदक द्वारा उपस्थित होकर तथा अपील अभ्यावेदन के माध्यम से बताया गया कि ई० रवि कुमार गुप्ता, पिता–श्रीराम कुमार गुप्ता, ग्रा०–मगुराहा, पो०–रामपुर, थाना–चिरैया, पूर्वी चम्पारण को उनके फर्म द्वारा मैटेरियल चोरी के आरोप में निकाला गया था, के द्वारा साजिशन Tender ID-2023 ECBIH-127455 एवं Tender ID-137813 (MMGSY/2024-25 Bet19/01) से उन्हें वंचित करने के लिए उक्त आरोप लगाया गया है। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा विभागीय पत्रांक–3730 दिनांक–17.12.2024 के आलोक में उनके पत्रांक–2880 दिनांक–26.12.2024 द्वारा उनसे 03 दिनों के अंदर ई० रवि कुमार गुप्ता के वेतन संबंधी साक्ष्य की मांग की गयी तथा उसी दिन उनका पक्ष लिये बिना पत्रांक–2879 दिनांक–26.12.2024 द्वारा उनके विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा कर दिया गया, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा पत्रांक–38 अनु0 दिनांक–24.02.2025 के माध्यम से उपस्थित होकर बताया गया कि उनके पत्रांक–2880 दिनांक–26.12.2024 के आलोक में मेसर्स सोलंकी कन्सट्रक्शन द्वारा दिनांक–20.02.2025 को ई0 रवि कुमार गुप्ता का पारिश्रमिक भुगतान से संबंधित Cash Receipt Voucher एवं ई0 रवि कुमार गुप्ता का शपथ पत्र दिनांक–21.04.2022 जिसमें ई0 रवि कुमार गुप्ता द्वारा मेसर्स सोलंकी कन्सट्रशन में तकनीकी कार्यों हेतु 06 वर्षों से उचित मजदूरी पर देखभाल करने हेतु नियुक्त होने का उल्लेख है, समर्पित किया गया है।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा उक्त शपथ पत्र का सत्यापन हेतु श्री रमेश प्रसाद सिंह, नोटरी पब्लिक मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण को दिये गये पत्र के आलोक में श्री रमेश प्रसाद सिंह, नोटरी पब्लिक द्वारा दिनांक–22.02.2025 को उक्त शपथ पत्र को सत्यापित करते हुए प्रतिवेदित किया गया है की शपथ पत्र सं0–2545, 2546 दिनांक–21.04.2022 एवं 1130 दिनांक–07.02.2022 उनके रजिस्टर में अंकित है तथा उनके द्वारा किया गया है।

वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर सम्यक विचारोपरांत मेसर्स सोलंकी कन्सट्रशन (निबंधन सं0–1150043 / 1200155) को 04 (चार) वर्षों के लिए Blacklist किये जाने संबंधी सकारण आदेश ज्ञापांक–186 दिनांक–10.01.2025 द्वारा को निरस्त (Set aside) करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–14 / अ0प्र0–13–12 / 2025 – 3803 / पटना, दिनांकः– 3/4/25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / ऊर्जा विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–14 / अ0प्र0–13–12 / 2025 – 3803 / पटना, दिनांकः– 3/4/25

प्रतिलिपिः–सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–14 / अ0प्र0–13–12 / 2025 – 3803 / पटना, दिनांकः– 3/4/25

प्रतिलिपिः–संवेदक मेसर्स सोलंकी कन्सट्रक्शन पार्टनर–अखिलेश्वर सिंह, पता–छोटा बरियारपुर, थाना–छतौनी, मोतिहारी, जिला–पूर्वी चम्पारण, पिन– 845401 को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या–14 / अ0प्र0–02–132 / 2024 4944 /पटना, दिनांक– 5.5.25

संवेदक कुनाल सरोज (निबंधन संख्या–2180151), ग्राम–मरूआहा, माणिकपुर, वार्ड नं0–05, थाना–भर्राही ओ0पी0, जिला–मधेपुरा को कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा के कार्यालय कक्ष में दिनांक 20.03.2023 को दुर्व्यवहार, गाली गलौज, पीटने तथा जान से मारने का प्रयास करने, सोने के चेन छीनने, कार्यालय के महत्वपूर्ण दस्तावेज, मापी पुस्त आदि नष्ट करने संबंधी आरोपो के आलोक में विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 2310 दिनांक 28.04.2023 द्वारा संवेदक कुनाल सरोज (निबंधन संख्या–2180151) को अगले 10 (दस) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के विरूद्ध संवेदक कुनाल सरोज (निबंधन संख्या–2180151), ग्राम–मरूआहा, माणिकपुर, वार्ड नं0–05, थाना–भर्राही ओ0पी0, जिला–मधेपुरा द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–18746 / 2024, मेसर्स कुनाल सरोज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 02.04.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

"12. We thus modify the order of blacklisting to be operative for 5 years and not 10 years.

13. With the aforenoted modification in the impugned order dated 28.04.2023, the writ petition stands disposed off. "

सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–18746 / 2024, मेसर्स कुनाल सरोज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 02.04.2025 को याचिका निष्पादित करते हुए संवेदक कुनाल सरोज (निबंधन संख्या–2180151), ग्राम–मरूआहा, माणिकपुर, वार्ड नं0–05, थाना–भर्राही ओ0पी0, जिला–मधेपुरा के कालीकरण (Blacklist) की अवधि 10 (दस) को घटाकर 05 (पॉच) वर्ष किया गया है।

अतएव सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–18746 / 2024, मेसर्स कुनाल सरोज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 02.04.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में संवेदक कुनाल सरोज (निबंधन संख्या–2180151) ग्राम–मरूआहा, माणिकपुर, वार्ड नं0–05, थाना–भर्राही ओ0पी0, जिला–मधेपुरा को 10 वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने संबंधी विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 2310 दिनांक 28.04.2023 को संशोधित (Modify) करते हुए आदेश निर्गत की तिथि 28.04.2023 से अगले 05 (पॉच) वर्ष के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(निर्मल कुमार) 30.4.25

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–02–132 / 2024 4944 /पटना, दिनांक– 5.5.25

प्रतिलिपि– संवेदक कुनाल सरोज (निबंधन संख्या–2180151), ग्राम–मरूआहा, माणिकपुर, वार्ड नं0–05, थाना–भर्राही ओ0पी0, जिला–मधेपुरा, बिहार पिन कोड–852113 को सूचनार्थ प्रेषित।

30/4/25

अभियंता प्रमुख

1707
16/5/25

ज्ञापांक—14 / अ0प्र0—02—132 / 2024 4944 / पटना, दिनांक— 5.5.25

प्रतिलिपि—प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/4/25
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक—14 / अ0प्र0—02—132 / 2024 4944 / पटना, दिनांक— 5.5.25

प्रतिलिपि— अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

30/4/25
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक—14 / अ0प्र0—02—132 / 2024 4944 / पटना, दिनांक— 5.5.25

प्रतिलिपि— प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक / आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/4/25
अभियंता प्रमुख

अ0प्र0 (का0प्र0)

683

3254
22 APR 2025

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ओम शंकर कन्स0 प्रा0 लि0, (निबंधन संख्या–1210020) पता– मौलाबाग (नाला रोड), पी0ओ0–आरा, थाना–नवादा, जिला–भोजपुर के निबंधन को **विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–489 दिनांक 31.01.2025** द्वारा अगले 04 (चार) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के विरूद्ध दिनांक 18.03.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के के संबंध में :–

3986413
22.04.2025

04/04/2025

आदेश

ओम शंकर कन्स0 प्रा0 लि0 के निदेशक इन्द्रजीत उपध्याय, पता:– पता– मौलाबाग (नाला रोड), पी0ओ0–आरा, थाना–नवादा, जिला–भोजपुर एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया उपस्थित।

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त इतिहास यह है, कि कार्य प्रमंडल, खगड़िया के अधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत RCC Bridge at Ch-4860 in 5th Km of Sonmanki to Anandpur Maran (VRI) (BR-17R-182) तक योजना का पंचवर्षीय अनुरक्षण का कार्य निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पूर्ण नहीं किये जाने के कारण विभागीय **सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–489 दिनांक 31.01.2025** द्वारा अगले 04 (चार) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किया गया है।

उक्त आदेश के विरूद्ध ओम शंकर कन्स0 प्रा0 लि0 के निदेशक इन्द्रजीत उपध्याय, पता:– पता– मौलाबाग (नाला रोड), पी0ओ0–आरा, थाना–नवादा, जिला–भोजपुर द्वारा अपील अभ्यावेदन दिनांक 18.03.2025 को समर्पित किया गया है।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया द्वारा पत्रांक 489 दिनांक 01.04.2025 से प्रतिवेदित किया गया है कि पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत RCC Bridge at Ch-4860 in 5th Km of Sonmanki to Anandpur Maran (VRI) (BR-17R-182) तक योजना का पंचवर्षीय अनुरक्षण का कार्य प्रारम्भ से ही नहीं किया गया, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष अप्रोच पथ का कटाव जारी रहा, जिससे की अप्रोच पथ, Wearing Coat एवं रैलिंग की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है। अप्रोच पथ, Wearing Coat एवं रैलिंग की सुधार नहीं किये जाने के कारण एकरारनामा विखंडित करते हुए निबंधन को काली सूची में डालने की अनुशंसा की गई।

1459
30/4/25

684

सुनवाई के क्रम में संवेदक द्वारा बताया गया है कि "RCC Bridge at Ch-4860 in 5 Km of Sonmanki to Anandpur Maran (VRI) (BR-17R-182) तक योजना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है, यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी आकर अप्रोच पथ क्षतिग्रस्त कर देता है। बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त अप्रोच पथ की मरम्मति अनुरक्षण मद की राशि से नहीं हो सकती है।"

उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त ओम शंकर कन्स0 प्रा0 लि0 (निबंधन संख्याः–1210020) को अगले 4 (चार) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने संबंधी सकारण आदेश ज्ञापांक 489 दिनांक 31.01.2025 को निरस्त (Set aside) करते हुए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत निर्मित RCC Bridge at Ch-4860 in 5th Km of Sonmanki to Anandpur Maran (VRI) (BR-17R-182) के पहुँच पथ का बचाव कार्य सहित प्राक्कलन को एकरारित दर के अनुसार पुनरीक्षित कर डी0पी0आर0 प्रशासनिक अनुमोदन हेतु विभाग को समर्पित करेंगे।

तद्नुसार वाद निष्पादित।

(हस्ताक्षर) 7/4/2025

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

निबंधित

ज्ञापांकः–14 / अ0प्र0–03–01 / 2025 4292 / पटना, दिनांक 17.4.25

प्रतिलिपिः– ओम शंकर कन्स0 प्रा0 लि0, निदेशक मीरा उपाध्याय, पता–मौलाबाग, नाला रोड, पी0ओ0–आरा, थाना–नवादा, जिला–भोजपुर, पिन कोड–802301 मोबाईल नं0–9939396408 को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 16/4/25

(निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–03–01 / 2025 4292 / पटना, दिनांक– 17.4.25

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 16/4/25

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–03–01 / 2025 4292 / पटना, दिनांक– 17.4.25

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख 16/4/25

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–03–01 / 2025 4292 / पटना, दिनांक– 17.4.25

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी (डीबार एवं काली सूची) ग्रामीण कार्य विभाग पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख 16/4/25

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–03–01 / 2025 4292 / पटना, दिनांक– 17.4.25

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख 16/4/25

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–03–01 / 2025 4292 / पटना, दिनांक– 17.4.25

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख 16/4/25

4029748
02.05.2025

(682)

3568
22/04/2025

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

श्री विकास कुमार पांडेय, (निबंधन संख्याः– 1220038/श्रेणी प्रथम) पताः–महेन्द्र कॉलोनी, बानुछपरा, बेतिया के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–1152 दिनांक 25.03.2025 द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के विरूद्ध दिनांक 27.03.2025 को समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में।

आदेश

याचिकाकर्त्ता श्री विकास कुमार पांडेय, पताः–महेन्द्र कॉलोनी, बानुछपरा, बेतिया एवं विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज उपस्थित।

प्रस्तुत मामला ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज के अधीन MMGSUY योजनान्तर्गत निविदा (टेंडर आई0डी0 संख्या–133316) में अपलोड किये गये शपथ–पत्र में बेरोजगार अभियंता **श्री रजनीश कुमार**, पिता–श्री भूषण पाण्डेय, ग्राम–महना, पो0+थाना–चनपटिया जिला–पश्चिम चम्पारण का नाम दिया गया था, जो कि सत्यापन में वर्ष 2022 से **बेगूसराय** जिला के मौजा–जितवारपुर में अमीन के पद पर कार्यरत पाये गये। इस प्रकार उक्त निविदा में फर्जी कागजात अपलोड करने/तथ्यों को छुपाकर निविदा में भाग लेने के कारण संवेदक श्री विकास कुमार पांडेय, (निबंधन संख्याः–1220038/श्रेणी प्रथम) को **विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–1152 दिनांक 25.03.2025** द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

उक्त कालीकरण (Blacklist) आदेश के विरूद्ध संवेदक श्री विकास कुमार पांडेय (निबंधन संख्या–1220038), द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन दिनांक 27.03.2025 के माध्यम से सूचित किया गया है कि अभियंता श्री रजनीश कुमार संविदा पर अमीन के पद पर बेगूसराय में कार्यरत हैं, जो उनके ग्रामीण है और कभी भी छुट्टी पर आते है तो उनके कार्य को देखते है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.2007 के आलोक में संविदा पर कार्यरत कर्मी सरकारी सेवक नहीं माने जाते है। उक्त संकल्प की कंडिका–10 में प्रावधान निम्नवत हैः–

"संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा।"

1643
13/5/25

681

संवेदक द्वारा सुनवाई के क्रम में भविष्य में फर्म के पूर्वकालिक अभियंता रखने का उल्लेख करते हुए **विभागीय सकारण आदेश संख्या ज्ञापांक–1152 दिनांक 25.03.2025** द्वारा अगले 03 (तीन) वर्षो के लिए किये गये कालीकृत (Blacklist) आदेश को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री विकास कुमार पांडेय, (निबंधन संख्याः– 1220038 / श्रेणी प्रथम) पताः–महेन्द्र कॉलोनी, बानुछपरा, बेतिया को अगले 03 (तीन) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) करने संबंधी **विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक–1152 दिनांक 25.03.2025** को निरस्त **(Set aside)** करते हुए कालीकरण अवधि को 03 वर्षो से घटाकर 03 (तीन) माह किया जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

22/4/2025

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–14 / अ0प्र0–13–59 / 2025 4758 / पटना, दिनांक 30.4.25

प्रतिलिपिः– Vikash Kumar Pandey, At-Mahendra Colony, Banuchhaper, West Champaran, Bihar Pincode-845438 को सूचनार्थ प्रेषित।

30.04.2025

(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–13–59 / 2025 4758 / पटना, दिनांक– 30.4.25

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.04.2025

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–13–59 / 2025 4758 / पटना, दिनांक–30.4.25

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.04.2025

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–13–59 / 2025 4758 / पटना, दिनांक– 30.4.25

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी (डीबार एवं काली सूची) ग्रामीण कार्य विभाग पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.04.2025

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–13–59 / 2025 4758 / पटना, दिनांक– 30.4.25

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30.04.25

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–13–59 / 2025 4758 / पटना, दिनांक– 30.4.25

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यककार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.04.25

सरकार के अवर सचिव

पत्र संख्या –26 / मु0–06–03 / 2023 .... / 4058349 (679)
09.05.2025

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, किशनगंज अंतर्गत कटाव निरोधक कार्य (ऐजेंडा सं0–168 / 400 / 2021) तथा जल निस्सरण प्रमंडल, दरभंगा अंतर्गत कटाव निरोधक कार्य (ऐजेंडा सं0–175 / 15 / 2021, 168 / 297 / 2021 एवं 168 / 293 / 2021) बाढ़ 2022 के पूर्व संवेदक श्री संजय कुमार, मोहल्ला–जैन कॉलेज पूर्वी गेट, आरा, पो0+थाना– नवादा आरा, जिला–भोजपुर को आवंटित किया गया था, लेकिन संवेदक द्वारा एकरारनामा नहीं किये जाने के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम–11(क) (viii) में वर्णित कदाचार के लिए दोषी पाते हुए विभागीय आदेश सं0–201 दिनांक–14.03.2016 द्वारा उक्त कदाचार के लिए निर्धारित दण्ड यथा 'दस वर्षों के लिए कालीसूची में डाले जाने' का आदेश विभागीय ज्ञापांक–832 दिनांक–04.03.2022 द्वारा संसूचित किया गया।

संवेदक द्वारा उक्त दण्ड के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकार, सचिव, जल संसाधन विभाग के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसके सुनवाई के पश्चात उनके अपील अभ्यावेदन को आदेश ज्ञापांक–3267 दिनांक–05.08.2022 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

उक्त विभागीय आदेश को निरस्त करने हेतु संवेदक द्वारा CWJC No-12933/2022 दायर किया गया, जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–28.11.2022 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"As such, on all three counts, we quash and set aside the impugned order of blacklisting the petitioner by Memo no.3267 dated 5.8.2022, with liberty to the respondent authorities to initiate fresh action, if so required and desired, in accordance with law. Needless to add, if the respondents choose to do so, petitioner shall fully cooperate and the authority shall take a decision at the earliest in accordance with law.

Petition is disposed of in the aforesaid terms."

उक्त आदेश के अनुपालन में सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा नये सिरे से नियमानुसार सुनवाई की कार्रवाई करते हुए मामले का निष्पादन 02 माह के अन्दर करने का निदेश अभियंता प्रमुख, मुख्यालय को दिया गया।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय द्वारा संवेदक के अपील अभ्यावेदन पर दिनांक–21.02.2023 को सुनवाई की गई, और सभी बिन्दुओं पर विचारोपरांत संवेदक द्वारा एक से अधिक बार कार्य आवंटन के पश्चात एकरारनामा नहीं किया जाना बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम–11(क) के उप नियम–(viii) मे वर्णित कदाचार के लिए दोषी पाते हुए विभागीय आदेश सह ज्ञापांक–962 दिनांक–24.02.2023 द्वारा पूर्व में पारित विभागीय आदेश सं0–832 दिनांक–04.03.2022 को यथावत् रखा गया।

(678)

उक्त आदेश को निरस्त करने हेतु संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC No-6384/2023 दायर किया गया। जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–04.08.2023 को आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"In the light of these facts and circumstances, the concerned authority is hereby directed to take note of and re-visit the matter and proceed to blacklist the petitioner for a period of 3 years since petitioner has already undergone blacklisting process on two occasions. In this regard, separate order shall be passed and communicated to the petitioner within a period of two months."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में SLP(C) No डायरी सं0–45946/2023 दायर किया गया, जिसे दिनांक–09.07.2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Dismiss कर दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ संवेदक श्री संजय कुमार, मोहल्ला–जैन कॉलेज पूर्वी गेट, आरा, पो0+थाना–नवादा आरा, जिला–भोजपुर पिन–802301 (नि0सं0–142/2017, द्वितीय श्रेणी) के कालीकरण से संबंधित आदेश ज्ञापांक–832 दिनांक–04.03.2022 एवं आदेश ज्ञापांक–962 दिनांक–24.02.2023 को संशोधित करते हुए कालीकरण आदेश निर्गत होने की तिथि यथा 04.03.2022 से कालीकरण अवधि को 10 वर्षो से घटा कर 3 वर्ष किया जाता है, एवं विभागीय आदेश ज्ञापांक–3267 दिनांक–05.08.2022 को निरस्त किया जाता है।

ह0/–
(शरद कुमार)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक : .... पटना/दिनांक :..

प्रतिलिपि :– श्री संजय कुमार, मोहल्ला–जैन कॉलेज पूर्वी गेट, आरा, पो0+थाना–नवादा आरा, जिला–भोजपुर पिन–802301 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक :............1866............/पटना, दिनांक :...02.5.2025...

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल–2,3,4, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग एवं कार्यपालक अभियंता, प्रभारी आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2/5/2025

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

आ0सं0:–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–07 / 2024.............................दिनांक–

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

4052344
08.05.2025

सकारण आदेश

बिहार विद्यालय, परीक्षा समिति, पटना के फेज–II के अन्तर्गत सिन्हा लाईब्रेरी रोड स्थित मुख्य भवन के परिसर में स्थित प्रशासनिक भवन के छत के पर प्री–फैब Structure का एक अतिरिक्त तल का निर्माण कार्य से संबंधित निविदा में फर्जी / जाली दस्तावेज अपलोड करने कारण मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के पत्रांक–2577 दिनांक–05.07.2024 द्वारा संवेदक, M/s Want Media Solution, Village-Yamunapur, PO- Alawalpur, P.S-Gaurichak, Dist-Patna-803203 को दोषी मानते हुए इनके विरूद्ध बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक–13.09.2024 को अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में कालीकरण / निलंबन कालीकृत संबंधी बैठक हुई, जिसमें समिति द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया है । तदालोक में विभागीय पत्रांक–8348(भ) दिनांक–17.10.2024 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त स्पष्टीकरण का जवाब संवेदक से प्राप्त है।

पुनः दिनांक–17.12.2024 को अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में कालीकरण / निलंबन कालीकृत संबंधी बैठक हुई, जिसमें संवेदक के स्पष्टीकरण पर विचार किया गया । विचारोपरांत समिति द्वारा संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए उनके निबंधन को दो वर्षो के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया ।

संवेदक, M/s Want Media Solution, Village-Yamunapur, PO- Alawalpur, P.S-Gaurichak, Dist-Patna-803203 का निबंधन संख्या–BCD-Class-II/2230314 को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के नियम–11(vii) के तहत विभागीय पत्रांक–77(भ) दिनांक–02.01.2025 द्वारा आदेश निर्गत होने की तिथि से दो वर्षो के लिए निलंबित किया जाता हैं ।

उक्त आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक अपील अभ्यावेदन दिनांक–19.03.2025 को समर्पित किया गया ।

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–5737(s) दिनांक–07.05.2007 के कंडिका–11(घ) में अंकित है कि दिये **गये दण्ड के विरूद्ध संवेदक द्वारा तीस दिनों के अंदर आयुक्त एवं सचिव के समक्ष अपील दायर किया जाना है ।**

उल्लेखनीय है कि संवेदक द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अंदर अपील अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया हैं ।

अतएव दिये गये दण्ड के विरूद्ध संवेदक द्वारा समय–सीमा अंदर अपील दायर नहीं किये जाने के कारण उनसे प्राप्त अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है। ।

ह0 / –
(कुमार रवि)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–07 / 2024........................ पटना,दिनांक–

स्पीडपोस्ट

प्रतिलिपिः–संवेदक, M/s Want Media Solution, Village-Yamunapur, PO-Alawalpur, P.S-Gaurichak, Dist-Patna-803203 का निबंधन संख्या–BCD-Class-II/2230314 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के सचिव।

PTO

ज्ञापांक–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–07 / 2024 3770(न) पटना, दिनांक– 2

प्रतिलिपिः–सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / ऊर्जा विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना / मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना / सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग / मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।